भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2772

06 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

तमिलनाडु में भंडारण अवसंरचना का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण

2772. **श्री अ. मनि:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में, विशेषकर धर्मपुरी जिले सहित तमिलनाडु में, केंद्रीय पूल के खाद्यान्नों के भंडारण के लिए उपलब्ध कुल छतयुक्त भंडारण क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) तमिलनाडु में, विशेषकर धर्मपुरी जैसे जिलों में भंडारण अवसंरचना के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषकर धर्मपुरी जैसे जिलों, जहां स्थानीय खरीद और वितरण कार्य बढ़ रहे हैं, के लिए भंडारण अंतराल और भविष्य की क्षमता आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एफसीआई द्वारा अपनाए गए मानदंड और प्रक्रिया क्या हैं; और

(घ) क्या तमिलनाडु राज्य से नए गोदामों या साइलो के लिए कोई प्रस्ताव वर्तमान में केंद्र सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उनके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के प्रचालन और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद के बाद गेहूँ और चावल का भंडारण करता है। दिनांक 01.07.2025 तक, केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए एफसीआई के पास (स्वामित्व-147.19 लाख टन + किराए पर ली गई-323.38 लाख टन) और राज्य एजेंसियों के पास उपलब्ध कुल कवर्ड स्टोरेज क्षमता 821.36 लाख टन है। तमिलनाडु राज्य सहित, कवर्ड और प्लिंथ स्टोरेज सहित केंद्रीय पूल भंडारण क्षमता का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

...2/-

दिनांक 01.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए तमिलनाडु में एफसीआई के पास 12.92 लाख टन (स्वामित्व - 6.46 लाख टन और किराए की - 6.46 लाख टन) तथा राज्य एजेंसियों के पास 9.12 लाख टन कवर्ड क्षमता उपलब्ध है।

इसमें एफसीआई के पास उपलब्ध 0.33 लाख टन कवर्ड स्टोरेज क्षमता [नल्लमपल्ली में किराए की टीएनडब्ल्यूसी पीईजी (तमिलनाडु वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन निजी उद्यमी गारंटी) (-) 0.15 लाख टन] और धर्मपुरी जिले में राज्य एजेंसियों के पास 0.18 लाख टन क्षमता शामिल है।

इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य में बिल्ड- ऑन-ऑपरेट (बीओओ) आधार पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सर्किट मॉडल के तहत चेन्नई (25000 टन) और कोयंबटूर (25000 टन) में कुल 50000 टन क्षमता के दो साइलो का निर्माण किया गया है।

(ख): एफसीआई तमिलनाडु राज्य सहित पूरे भारत में सभी एफसीआई डिपो में भंडारण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए विभिन्न कदम उठा रहा है।

एफसीआई ने तमिलनाडु के डिपो सहित एफसीआई के स्वामित्व वाले और किराए पर लिए गए डिपो, दोनों के भंडारण ढांचे की निगरानी को डिजिटल बनाने के लिए **डिपो दर्पण पोर्टल** विकसित और शुरू किया है। यह पोर्टल सभी डिपो में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पादन निगरानी को बढ़ावा देता है, साथ ही डैशबोर्ड, रीयल-टाइम अलर्ट और व्यापक रिपोर्टों के माध्यम से डाटा-आधारित निर्णय लेने की सुविधा भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, खाद्यान्न प्रबंधन के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) तकनीक का उपयोग करते हुए, चरणबद्ध तरीके से एफसीआई तमिलनाडु सहित एफसीआई गोदामों में एक स्मार्ट वेयरहाउस प्रायोगिक परियोजना चला रही है। निगरानी मापदंडों में तापमान, आर्द्रता, गैस का स्तर, वायु प्रवाह और अनधिकृत पहुँच, कृंतक और कीट गतिविधि जैसी घटनाएँ शामिल हैं।

एफसीआई के स्वामित्व वाले गोदामों के उन्नयन के लिए, मंत्रालय ने "एफसीआई का रूपांतरण" " पहल के तहत पूंजीगत बजट आवंटित किया है, जिसे वित्त वर्ष 2023-24 में शुरू किया गया था। इस पहल के तहत प्राप्त बजट का उपयोग मुख्य रूप से पुरानी क्षतिग्रस्त बिटुमिनस (बीटी) सड़कों को सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़कों से बदलने, पुरानी क्षतिग्रस्त एस्बेस्टस सीमेंट (एसी) शीट की छतों को प्री कलर कोटेड जीएल प्रोफाइल छत शीट से बदलने, प्रकाश व्यवस्था के उन्नयन और खाद्य भंडारण गोदामों में पावर बैकअप के रूप में डीजल जनरेटर सेट की स्थापना के लिए किया जाता है। ये कार्य तमिलनाडु राज्य सहित पूरे भारत में सभी एफसीआई डिपो में किए जा रहे हैं।

धर्मपुरी जिले में एफसीआई के स्वामित्व वाला कोई गोदाम नहीं है। हालाँकि, टीएनडब्ल्यूसी पीईजी नल्लमपल्ली, धर्मपुरी जिले में एफसीआई द्वारा केंद्रीय पूल स्टॉक के भंडारण के लिए किराए पर लिया गया एकमात्र गोदाम है। डिपो दर्पण पोर्टल के माध्यम से धर्मपुरी जिले में एफसीआई भंडारण सुविधा का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

(ग): तमिलनाडु एक विकेन्द्रीकृत खरीद राज्य (डीसीपी) है। राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम/अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण करती है। कम खरीद की स्थिति में, जहाँ स्टॉक को बढ़ाकर कमी को पूरा किया जाता है, या अत्यधिक खरीद की स्थिति में, जहाँ अतिरिक्त स्टॉक को कमी वाले क्षेत्रों में ले जाया जाता है, एफसीआई की भूमिका होती है।

दिनांक 01.07.2025 तक, केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए तमिलनाडु में 12.92 लाख टन (स्वामित्व वाली - 6.46 लाख टन और किराए पर ली गई - 6.46 लाख टन) कवर्ड स्टोरेज क्षमता एफसीआई के पास उपलब्ध है और 9.12 लाख टन राज्य एजेंसियों के पास है, जिसमें धर्मपुरी जिले 0.33 लाख टन कवर्ड स्टोरेज क्षमता एफसीआई के पास उपलब्ध है {किराए पर (टीएनडब्ल्यूसी पीईजी नल्लमपल्ली) - 0.15 लाख टन } और 0.18 लाख टन क्षमता केंद्रीय पूल खाद्यान्न स्टॉक के भंडारण के लिए में राज्य एजेंसियों के पास है।

एफसीआई की भंडारण क्षमता खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और पीडीएस प्रचालन पर निर्भर करती है। पीईजी योजना के अंतर्गत भंडारण क्षमता सृजन हेतु भंडारण अंतराल का आकलन एनएफएसए और ओडब्ल्यूएस की अपेक्षानुसार खरीद करने वाले राज्यों में पिछले तीन वर्षों के उच्चतम स्टॉक स्तरों के आधार पर और उपभोग करने वाले राज्यों में 4 महीने (पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे कुछ अन्य राज्यों के मामले में 6 महीने) के आधार पर किया जाता है।

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) निरंतर भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर भंडारण क्षमताएँ निर्मित/किराए पर ली जाती हैं। एफसीआई निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से अपनी भंडारण क्षमता बढ़ा रहा है: -

(i) निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
(ii) केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) 2017-25
(iii) सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत साइलोज़ का निर्माण
(iv) केन्द्रीय भंडारण निगम/राज्य भंडारण निगम/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
(v) निजी वेयरहाउसिंग योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना

...4/-

(vi) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति में एफसीआई के स्वामित्व वाली भूमि पर परिसंपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण

(vii) कवर्ड और प्लिन्थ किराए पर लेने की योजना-2025

(viii) पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 15 वर्षों की लंबी गारंटी अवधि के साथ संशोधित निजी उद्यमिता गारंटी योजना।

(घ): परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के अंतर्गत खाद्य भंडारण डिपो चिदंबरम (तमिलनाडु) में 8350 टन की अतिरिक्त भंडारण क्षमता की योजना बनाई गई है।

तमिलनाडु राज्य में नए साइलो के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

(अनुबंध-I)

लोक सभा में दिनांक 06.08.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2772 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 01.07.2025 तक स्थिति के अनुसार एफसीआई और राज्य सरकार एजेंसियों के पास केंद्रीय पूल भंडारण क्षमता

(आंकड़े लाख टन में)

अंचल	क्रम सं.	क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र	एफसीआई के पास कुल भंडारण क्षमता (स्वामित्व/किराए पर) (कवर्ड एवं सीएपी)						कुल (स्वामित्व+ किराए पर)	खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्य भंडारण निगमों (एफसीआई को दी गई क्षमता को छोड़कर) सहित राज्य एजेंसियों के पास कुल भंडारण क्षमता			सकल योग		
			कवर्ड		सीएपी		कुल			राज्य एजेंसियां			कवर्ड	सीएपी	कवर्ड एवं सीएपी
			स्वामित्व की	किराए पर	स्वामित्व की	किराए पर	कवर्ड	सीएपी		कवर्ड	सीएपी	कुल			
पूर्व	1	बिहार	3.45	9.02	0.00	0.00	12.47	0.00	**12.47**	10.13	0.00	10.13	22.60	0.00	**22.60**
	2	झारखंड	0.98	3.82	0.00	0.00	4.80	0.00	**4.80**	1.78	0	1.78	6.58	0.00	**6.58**
	3	ओडिशा	3.65	3.07	0.00	0.00	6.72	0.00	**6.72**	5.11	0	5.11	11.83	0.00	**11.83**
	4	पश्चिम बंगाल	9.53	1.42	0.00	0.00	10.95	0.00	**10.95**	9.66	0	9.66	20.61	0.00	**20.61**
	5	सिक्किम	0.11	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00	**0.11**	0.11	0	0.11	0.23	0.00	**0.23**
कुल पूर्वी क्षेत्र			**17.72**	**17.34**	**0.00**	**0.00**	**35.06**	**0.00**	**35.06**	**26.79**	**0.00**	**26.79**	**61.85**	**0.00**	**61.85**
पूर्वोत्तर	6	असम	3.74	1.57	0.00	0.00	5.31	0.00	**5.31**	0.00	0	0.00	5.31	0.00	**5.31**
	7	अरुणाचल प्रदेश	0.41	0.04	0.00	0.00	0.45	0.00	**0.45**	0.00	0	0.00	0.45	0.00	**0.45**
	8	मेघालय	0.20	0.25	0.00	0.00	0.44	0.00	**0.44**	0.00	0	0.00	0.44	0.00	**0.44**
	9	मिजोरम	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	**0.32**	0.41	0	0.41	0.73	0.00	**0.73**
	10	त्रिपुरा	0.44	0.18	0.00	0.00	0.62	0.00	**0.62**	0.64	0	0.64	1.26	0.00	**1.26**
	11	मणिपुर	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	**0.65**	0.00	0	0.00	0.65	0.00	**0.65**
	12	नागालैंड	0.42	0.16	0.00	0.00	0.57	0.00	**0.57**	0.08	0	0.08	0.65	0.00	**0.65**
कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र			**6.16**	**2.19**	**0.00**	**0.00**	**8.35**	**0.00**	**8.35**	**1.13**	**0.00**	**1.13**	**9.48**	**0.00**	**9.48**
उत्तर	13	दिल्ली	3.28	0.00	0.00	0.00	3.28	0.00	**3.28**	0.00	0	0.00	3.28	0.00	**3.28**
	14	हरियाणा	8.75	57.47	2.88	0.00	66.22	2.88	**69.10**	45.92	20.52	66.44	112.14	23.40	**135.54**
	15	हिमाचल प्रदेश	0.27	0.73	0.00	0.00	1.00	0.00	**1.00**	0.00	0	0.00	1.00	0.00	**1.00**
	16	जम्मू व कश्मीर	0.95	1.52	0.00	0.00	2.46	0.00	**2.46**	0.00	0	0.00	2.46	0.00	**2.46**
	17	लद्दाख	0.25	0.07	0.00	0.00	0.31	0.00	**0.31**	0.00	0	0.00	0.31	0.00	**0.31**
	18	पंजाब	27.17	121.89	3.31	5.63	149.06	8.94	**158.00**	30.19	62.71	92.90	179.25	71.65	**250.90**
	19	चंडीगढ़	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	**0.09**	0.00	0	0.00	0.09	0.00	**0.09**
	20	राजस्थान	8.42	15.57	0.60	0.83	23.99	1.43	**25.42**	0.00	0	0.00	23.99	1.43	**25.42**
	21	उत्तर प्रदेश	15.68	38.94	0.00	0.00	54.62	0.00	**54.62**	0.00	0	0.00	54.62	0.00	**54.62**
	22	उत्तराखंड	0.83	1.27	0.00	0.00	2.10	0.00	**2.10**	1.88	0	1.88	3.98	0.00	**3.98**
कुल उत्तरी क्षेत्र			**65.59**	**237.54**	**6.79**	**6.46**	**303.13**	**13.25**	**316.38**	**77.99**	**83.23**	**161.22**	**381.12**	**96.48**	**477.60**
दक्षिण	23	आंध्र प्रदेश	8.64	2.51	0.00	0.00	11.15	0.00	**11.15**	17.78	0	17.78	28.92	0.00	**28.92**
	24	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	**0.07**	0.16	0	0.16	0.23	0.00	**0.23**
	25	तेलंगाना	6.68	14.16	0.00	0.00	20.83	0.00	**20.83**	7.96	0	7.96	28.79	0.00	**28.79**
	26	केरल	5.89	0.11	0.00	0.00	6.00	0.00	**6.00**	1.88	0	1.88	7.88	0.00	**7.88**
	27	कर्नाटक	4.60	5.73	0.00	0.00	10.34	0.00	**10.34**	0.00	0	0.00	10.34	0.00	**10.34**
	28	लक्षद्वीप	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	**0.03**	0.00	0	0.00	0.03	0.00	**0.03**
	29	तमिलनाडु	6.46	6.46	0.00	0.00	12.92	0.00	**12.92**	9.12	0	9.12	22.04	0.00	**22.04**
	30	पुदुचेरी	0.51	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	**0.51**	0.00	0	0.00	0.51	0.00	**0.51**
कुल दक्षिणी क्षेत्र			**32.87**	**28.96**	**0.00**	**0.00**	**61.83**	**0.00**	**61.83**	**36.90**	**0.00**	**36.90**	**98.73**	**0.00**	**98.73**
पश्चिम	31	गुजरात	4.93	4.43	0.00	0.00	9.36	0.00	**9.36**	0.57	0	0.57	9.93	0.00	**9.93**
	32	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0	0.00	0.00	0.00	**0.00**
	33	महाराष्ट्र	9.23	9.27	0.00	0.00	18.50	0.00	**18.50**	6.98	0	6.98	25.48	0.00	**25.48**
	34	गोवा	0.19	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	**0.19**	0.00	0	0.00	0.19	0.00	**0.19**
	35	मध्य प्रदेश	4.18	9.78	0.00	0.00	13.96	0.00	**13.96**	189.16	0.00	189.16	203.12	0.00	**203.12**
	36	छत्तीसगढ़	6.32	13.86	0.00	0.00	20.18	0.00	**20.18**	11.26	0	11.26	31.44	0.00	**31.44**
कुल पश्चिमी क्षेत्र			**24.85**	**37.35**	**0.00**	**0.00**	**62.19**	**0.00**	**62.19**	**207.97**	**0.00**	**207.97**	**270.16**	**0.00**	**270.16**
सकल योग			**147.19**	**323.38**	**6.79**	**6.46**	**470.57**	**13.25**	**483.82**	**350.78**	**83.23**	**434.01**	**821.36**	**96.48**	**917.83**